

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक 18.10.2021

थाना मीरगंज जपद बरेली।

चालक द्वारा (आमानत में खयानत) की गयी चाय की पत्ती कुल 416 बैग कीमती करीब 25 लाख रुपये बरामद तथा प्रकाश में आये अभियुक्त बब्लू गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस ग्रामीण महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 04.10.2021 को थाना मीरगंज क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से ट्रक नम्बर PB 10 FV 6263 से विभिन्न प्रकार की चाय की पत्ती कुल 522 बैग लोड करके अमृतसर पंजाब के लिए चली थी, लेकिन अमृतसर नियत तिथि के बाद भी न पहुँचने पर ट्रांसपोर्टर द्वारा तलाश की जाने लगी। चालक व माल न मिलने पर वादी श्री सुरजीत सिंह पुत्र हसराज ब्रांच मैनेजर बजाज एक्सप्रेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड लुधियाना ने थाना आकर चालक संदीप द्वारा माल गयाब करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया।

विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान बब्लू पुत्र बब्बू शाह नि0 ग्राम सैजना थाना मीरगंज जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आया, इसे गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर 416 बैग चाय की पत्ती सिंधौली में किराये पर लिये गये रामस्वरूप के गोदाम से बरामद किया गया। पूछताछ पर बब्लू ने बताया कि मैं और संदीप ने मिलकर चाय की पत्ती का बैग गायब कर दिया था। शेष बचे चाय पत्ती के बैग संदीप के पास है। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वढोत्तरी की गयी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 360/2021 धारा 406 आईपीसी थाना मीरगंज जनपद बरेली।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

बब्लू पुत्र बब्बू शाह निग्राम सैजना थाना मीरगंज जिला बरेली 0

फरार अभियुक्त का नाम पता-

चालक- संदीप कुमार पुत्र सुभाष चन्द निवासी मकान न. 740 गली न0 6 गुरु अर्जुनदेव नगर समराला चौक लुधियाना पंजाब

बरामदगी का विवरण –

1.विभिन्न प्रकार की कम्पनियों की चाय की पत्ती के कुल 416 बैग (कीमत लगभग 25 लाख रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री दयाशंकर थाना मीरगंज बरेली
- 2-उ0नि0 श्री सतवीर सिंह थाना मीरगंज बरेली
- 3-हे0का0 491 विपिन कुमार थाना मीरगंज बरेली।
- 4-का0 701 घनश्याम थाना मीरगंज बरेली।